पॉक्सो एक्ट PDF

अश्लील उद्देश्य: अधिनियम में उन लोगों के लिए सजा का भी प्रावधान है जो अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों का उपयोग करते हुए उन पर यौन हमला करते हैं। इस एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति यौन संतुष्टि के लिए किसी भी तरह के मीडिया में बच्चे का इस्तेमाल करता है तो उसे अश्लील उद्देश्य के लिए बच्चे का इस्तेमाल करने का दोषी माना जाएगा।

पेनिट्रेटिव यौन हमला: इस बिल में न्यूनतम सजा को सात से बढ़ाकर दस साल कर दिया गया है। इसके अलावा, बिल में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र के बच्चे पर प्रवेशक यौन हमला करता है, तो उसे 20 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माना भरना होगा। इस एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति (i) अपना लिंग बच्चे की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में डालता है, या (ii) बच्चे से ऐसा करवाता है, या (iii) बच्चे के शरीर में कोई वस्तु डालता है बच्चा, या (iv) बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से पर अपना मुंह लगाता है, इसे 'प्रवेशक यौन हमला' कहा जाता है। इस तरह के अपराध कारावास से दंडनीय होंगे, जिसकी अवधि सात वर्ष से लेकर आजीवन तक हो सकती है, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

पोर्नोग्राफिक सामग्री का भंडारण: एक्ट व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अश्लील सामग्री का भंडारण करने पर सजा का प्रावधान करता है। यह अपराध किसी एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय है जो तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ। यह विधेयक इस प्रावधान में संशोधन करता है। इस विधेयक के अनुसार, इस अपराध के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसे तीन से पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ। इसके अलावा, बिल बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के भंडारण से संबंधित दो और अपराधों को जोड़ता है। इनमें (i) बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री को नष्ट करने, हटाने या रिपोर्ट करने में विफलता और (ii) ऐसी किसी भी सामग्री को प्रसारित करना, प्रचार करना या संभालना शामिल है (केवल अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करने के उद्देश्य से)।

एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट: इसके तहत, एक पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बलों के सदस्य या एक लोक सेवक द्वारा एक बच्चे पर पेनिट्रेटिव यौन हमला 'गंभीर पेनेट्रेटिव

यौन हमला' माना जाता है। इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां अपराधी बच्चे का रिश्तेदार है, या हमले से बच्चे के यौन अंगों को चोट पहुंचती है या बच्चा गर्भवती हो जाता है, आदि। बिल एग्रेसिव पेनेट्रेटिव यौन हमले की परिभाषा में दो और आधार जोड़ता है। इनमें (i) हमले के कारण बच्चे की मौत और (ii) प्राकृतिक आपदा के दौरान किए गए यौन हमले शामिल हैं।

वर्तमान में, गंभीर प्रवेशन यौन हमला 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना के साथ कारावास से दंडनीय है। इस बिल में कम से कम दस साल से लेकर 20 साल तक की सजा और अधिकतम सजा मौत की सजा का प्रावधान किया गया है।

गंभीर यौन हमला: यदि कोई व्यक्ति बिना प्रवेश के किसी बच्चे की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूता है, तो इसे 'गंभीर यौन हमला' माना जाता है, अगर अपराधी बच्चे का रिश्तेदार है या जिसमें बच्चे के यौन अंग घायल हो गए हैं , और इसी तरह। बिल गंभीर यौन हमले के लिए दो और शर्तें जोड़ता है। इनमें शामिल हैं (i) प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला, और (ii) जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिए बच्चे को हार्मोन या कोई अन्य रासायनिक पदार्थ देना या देना।

pdfinbox.com